न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 99/2021 GCMS No 2021/251
दायरा तिथि : 06.10.2021
फैसला तिथि : 21.10.2021
प्रार्थी::–

कपूराराम पुत्र तोलारामजी जाति सरगरा
निवासी मोरी तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा .... अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. तहसीलदार, बाली .... पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– **दिनांक 21.10.2021**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम मोरी पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली में धारित की जा रही सह खातेदारी भूमि खसरा नंबर 409 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम भबुताराम पुत्र तोलाराम** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम कपुराराम पुत्र तोलाराम शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य म्यूटेशन क्रमॉक 188 दिनांक 18.02.2008 की प्रति, वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की संवत् 2065 से 2068 व संवत् 2068 से 2071 की प्रति, नवीन जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की प्रति, प्रार्थी द्वारा धारित अन्य दस्तावेज यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र की प्रति, परिवार राशन कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, आधार कार्ड की प्रति एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की पुष्टि में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपुर्ण नाम **भबुताराम पुत्र तोलाराम** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र की प्रति, परिवार राशन कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, आधार कार्ड के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम **कपुराराम पुत्र तोलाराम** दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 18.02.2008 से होना स्वीकार करते हुये रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम भबुताराम पुत्र तोलाराम** के स्थान पर **कपुराराम पुत्र तोलाराम** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम मोरी पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली में धारित की जा रही सह खातेदारी भूमि खसरा नंबर 409 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम भबुताराम पुत्र तोलाराम** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम कपुराराम पुत्र तोलाराम शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, दूदनी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक **21.10.2021** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner